

राजस्थान राजकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (72) आकाशि/नि.स./2009/ 784

दिनांक:- 2.2.2016

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी रात्र 2015-16 से निम्नलिखित महाविद्यालय को पूर्व संचालित(कला संकाय) गें रथाई अनापत्ति प्रगाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	घोषणा/संकाय
1	72	श्री राष्ट्रीय पटेल डिग्री कॉलेज, नगर, जिला-भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/वृज विभाग भरतपुर	अनिवार्य विषयों राहित- कला रनातक- हिन्दी सा०, संस्कृत सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, राजविज्ञान, विद्रकला, इतिहास, लोक प्रशासन,

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी०री०आई०रो संबंधित प्राप्त करने का दायित्व रख्य संरक्षा का होगा ।
2. संरक्षा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू॒जी॒री। अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक रटाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संरक्षा को वर्तमान व गविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संरक्षा को समय-2 पर यू॒जी॒री।/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संरक्षा द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संरक्षा अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संरक्षा को रथाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संरक्षा द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संरक्षा को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।
8. संरक्षा को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी॒सी॒आई॒ के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संरक्षा प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।
11. संरक्षा महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर गहाविद्यालय को रजिस्टर करका DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानलारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा ।

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर ।
4. कूल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ वृज विभाग भरतपुर ।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

पंचांग
संयुक्त-निदेशक (निजी संस्था)